बिहार सरकार
वित्त विभाग

संचिका संख्या–ब–17/विविध (पथ)–Bans of Sanction0261-2016-1132/०वि

पटना, दिनांक–18.11.16

प्रेषक,

राम निवास पाण्डेय
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–   विभिन्न परियोजनाओं पर होने वाले व्यय की Bank of Sanction (BoS) की राशि 1×3 गुणा निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के कार्य विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु परियोजा पर विभिन्न वित्तीय वर्षों में होने वाले कुल व्यय के अनुरूप एकमुश्त Bank of Sanction (Bos) की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाती है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा Bank of Sanction (Bos) की राशि कही 1×2.5 गुणा कहीं 1×3 गुणा एवं कहीं 1×4 गुणा तक निर्धारित की जा रही है, इसमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कार्य विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए Bank of Sanction (Bos) की अधिसीमा बजटीय उपबंध की राशि से पूर्व के दायित्वों को घटाने के उपरांत नई परियोजनाओं हेतु शेष राशि का 1×3 गुणा तक ही, रखा जाय एवं उसके अनुरूप ही योजना से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की संचिका संख्या– प्र०–10/प्रा०–02–84/2016 एवं संचिका संख्या– मु०अ० (अनु०) कार्य योजना–01/2013 में इस संबंध में लिए गए निर्णय के (संगत) अंश की छाया प्रति भी संलग्न है।

चूँकि यह मामला आपके कार्य क्षेत्र में आता है। अतः अनुरोध है कि इस आशय का आदेश योजना एवं विकास विभाग के स्तर से निर्गत करते हुए सभी कार्य विभागों एवं वित्त विभाग को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
राम निवास पाण्डेय
संयुक्त सचिव